1. Digital Financial Services

डिजिटल वित्तीय सेवाएँ (Digital Financial Services - DFS) आधारभूत वित्तीय सेवाओं को गरीबों तक नवीनतम तकनीकों–मोबाइल योग्य प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उपकरण और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म आदि के द्वारा पहुँचा सकती हैं। डिजिटल चैनल ग्राहकों तथा सेवा दाताओं के लिए लागतों में भारी कमी कर सकता है, जिससे दूरस्थ तथा वंचित लोगों तक सेवाएँ पहुँचना सुगम हो जाता है। पूरे विश्व के वित्तीय नियामकों ने यह महसूस किया है कि DFS वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभा सकती है और साथ ही साथ इसके सम्भावनाओं में वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने मे लगे हैं। DFS के चैनल $24 \times 7 \times 365$ सेवाएँ प्रदान करते है।

बचत क्यों जरुरी है ? (Why Savings are needed?):

आय का वह भाग, जो खर्च नही किया जाता बचत कहलाता है। भविष्य के अनिश्चित होने के कारण कोई भी अशुभ घटना या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिना बचत के ऐसी अनिश्चित घटनाएँ बड़ी वित्तीय संकट को जन्म देती हैं। बचत एक व्यक्ति या परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ वस्तुएँ महँगी होने के कारण मासिक आय से खरीदनी मुश्किल होती है, जिसके लिए प्रति माह आय का कुछ भाग बचत करना अनिवार्य है, ताकि पर्याप्त रकम इकट्ठी की जा सके जैसे– ए.सी., कार, टी.वी. आदि। भविष्य में होने वाले कुछ बड़े खर्चों के लिए भी बचत करना जरूरी है, जैसे–मकान का क्रय, शादी पर व्यय आदि।

सुरक्षा के लिए (For Safety):

बचत के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा है। आपातकाल की स्थिति के लिए बचत बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि नौकरी छूटना, शारीरिक रूप से अयोग्य होना, बीमार होना या इस प्रकार से अन्य भयंकर वित्तीय समस्या की सम्भावना को कोई सोचना नहीं चाहता, पर इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। बहुत छोटे आपात की स्थिति, जैसे कार रिपेयर भी बचत किए हुए पैसों से पूरा किया जाता है। ऐसा नहीं कि वर्तमान आय को ऐसी स्थित में पूरी तरह से खर्च कर दिया जाता है।

भविष्य की आवश्यकता के लिए (For Future Needs):

बच्चों की शिक्षा के लिए भी बचत बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का आनन्द लेने के लिए भी बचत जरूरी है। डिज्नी वर्ल्ड की ट्रिप बहुत आनन्ददायक होती है। जब आपको पता होता है कि आपने बचत के पैसों से भुगतान किया है, बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर वर्षों तक उसका भुगतान करते रहें।

बड़े खर्चो के लिए (For Large Expenses):

जीवन में बहुत ऐसे खर्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नियमित रूप से बचत जरूरी है। एक विवाहित दम्पति के कुछ सपने होते हैं, जैसे विदेश घूमना, वार्षिक भ्रमण, मकान खरीदना या व्यवसाय/कम्पनी प्रारम्भ करना।

घर पर नकदी रखने के नुकसान:

(Drawbacks of Keeping Cash at Home)

कुछ लोग नकदी को बैंक में रखने के बजाय घर पर रखने में विश्वास करते हैं। घर पर नकदी रखने के कुछ नुकसान है।

असुरक्षित (Unsafe):

अपने नकदी को बैंक से निकालकर घर पर रखे। इसमें यह फायदा है कि आपने अपने पैसों को अपने घर पर छुपाकर रख दिया और जब जरूरत हो उसे प्रयोग कर सकते हो। पर नकदी को घर पर रखने का यह नुकसान है कि उसकी चोरी हो सकती है।

विकास के अवसर खोना:

(Loss of growth Opportunities)

Aditya Institute - AIIT

अपने पैसों को घर पर रखने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम विकास के अवसर खो देते हैं, क्योंकि इस पर हम कोई ब्याज नही कमा पाते। यदि हम पैसों को बैंक में रखें, तो हमें एक निश्चित रकम ब्याज के रूप में मिलती है, जिसे जरूरत पड़ने पर हम उपयोग कर सकते है।

कोई साख योग्यता नहीं:

(No Any Credit Eligibility)

साख योग्यता का अर्थ है कि बैंक में बचत के कारण अन्य फायदों का लाभ उठाना, जैसे–डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM की सुविधा, ऋण की सुविधा आदि। घर नकदी रखने पर इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

क्यों बैंक की जरूरत है?

(Why Bank is Needed?)

बैंक (Bank) उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में जमा करते और आवश्यकतानुसार समय–समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करते हैं जैसे,

सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएँ जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चेकों का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना–देना।

अत: बैंक केवल मुद्रा का लेन देन ही नहीं करते, वरन् साख का व्यवहार भी करते हैं। इसलिए बैंक को साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। बैंक देश की बिखरी सम्पति को केन्द्रित करके देश में उत्पादन के कार्यों में लगाते हैं। जिससे पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रगति में सहायता मिलती है।

जमा की सुरक्षा (Safety of Deposits):

बैंक को पैसा जमा करने के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में देखा जाता है। यह अव्यावहारिक और जोखिम भरा नकदी के रूप में अपने सभी बचत रखने के लिए है। यह लोगों के पैसे को अक्सर जल्दी भुगतान और सम्पति को सुरक्षित रखने के लिए है।

बैंक एजेण्ट की हैसियत से मुख्यत: निम्न कार्यों को करता है–

विनिमय साध्य साख–पत्रों का भुगतान करना,
ग्राहकों की ओर से रुपये का भुगतान करना,
भुगतानों को प्राप्त करना,
प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय,
रूपये का हस्तान्तरण,
प्रमाण–पत्रों तथा यात्रियों के चेकों को जारी करना,
विदेश विनिमय का क्रय–विक्रय,
निर्णयकर्ता के रूप में कार्य करना,
सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।

बैंकिंग उत्पाद (Banking Products):

खातों के प्रकार (Types of Accounts)- ये निम्न प्रकार के होते हैं -

बचत खाता (Saving Account):

इस प्रकार का खाता प्राय: उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, जो कभी–कभी तथा बहुत छोटी–छोटी मात्राओं में रुपया जमा करना या निकालना चाहते हैं।

बचत खाता मुख्यत: निश्चित एवं कम आय वाले गृहस्थों की सुविधा के लिए तथा उनमें धन संचय की प्रवृत्ति जाग्रत करने के लिए खोला जाता है।

Aditya Institute - AIIT

इस प्रकार के खातों में से आवश्यकतानुसार, जितनी बार चाहे, रुपया निकाला जा सकता है। इसमें भी जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इस खाते में रकम जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन जमा की अधिकतम सीमा निश्चित है।

चालू खाता एवं बचत खाता में अन्तर

अन्तर का आधार	चालू खाता	बचत खाता
जमा की अवधि	निश्चित अवधि नहीं	निश्चित अवधि नहीं
जमा पर प्रतिबन्ध	कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा निश्चित है।
रकम निकालना	कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	बैंक के नियमानुसार रकम निकाली जा सकती हैं।
ब्याज	बैंक ब्याज नहीं देता है।	इस खाते में ब्याज मिलता हैं।
उद्देश्य	इस खाते का उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की रकम जमा करने तथा निकालने की सुविधा प्रदान करना है।	इस खातें में लोगों की बचत करने की आदत बढ़ती है।

स्थायी खाता (Permanent Account):

अमेरिका में इसे **मियादी जमा** (Time deposit) कहा जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। स्थायी खाता बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज देता है। जितने समय के लिए रकम जमा की गई है, उतना समय बीत जाने पर ही निकासी हो सकती है।

निश्चित अवधि के भीतर ही निकासी करना आवश्यक हो जाता है, तब स्थायी जमा की जमानत पर कर्ज मिल जाता है। खाता पहले बन्द करने पर, जिस शर्त पर रुपया जमा किया गया था, उसका पालन नहीं होता। ब्याज उस समय जो रहता है, वही मिलता है।

चालू खाता (Current Account):

इस खाते में जमा करने वालों को अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार धन को निकाल सकते हैं एवं जमा कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका में इसे माँग जमा भी कहा जाता है। बैंक इस प्रकार के खातों पर जमा हेतु कोई ब्याज नहीं देते एवं एक निश्चित राशि से कम जमा पर जमाकर्ता से व्यय वसूल करते हैं।

नकद साख खाता (Cash Credit Account):

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रुपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है।

आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account):
इस प्रकार के खातों में, एक निश्चित राशि प्रतिमाह, एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के इसमें से रकम को, निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पहले निकाला नहीं जा सकता। इन पर दिया जाने वाला ब्याज, जमा खाते की तुलना में अधिक होता है।

ऋण (Loan):
वाणिज्यिक बैंक का अन्य महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादकों व व्यापारियों आदि को विभिन्न प्रकार की जमानतों पर ऋण देते हैं, ये ऋण अचल सम्पतियाँ, व्यक्तिगत जमानत के आधार पर नहीं दी जाती। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं–

(a) ओवर ड्राफ्ट (OD) - चालू खाता वाले जमाकर्ता को उनके खाते में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की सुविधा।

(b) ऋण तथा अग्रिम (Debt and Loan)

(c) विनिमय–पत्रों की कटौती (Retrenchment of Exchange Bills)

(d) नकद (Cash Credit)

(e) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (Investment in Public Securities)

ऋण एवं ओवरड्राफ्ट के प्रकार (Types of Loan and Overdrafts):
ऋण लेने की परम्परा भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऋण तब लिया जाता है, यदि उसे घर खरीदना हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, गाड़ी खरीदनी हो इत्यादि। ऋण आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भी दिया जाता है। यथा– कृषि के क्षेत्र में, व्यावसाय स्थापित करने के क्षेत्र में एवं सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित व्यावसाय इत्यादि में बैंक द्वारा ऋण बहुत न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

भारत में लोन तीन प्रकार के दिए जाते हैं–

1. अल्पकालिक लोन (ऋण) (Short term loan) - यह ऋण (लोन) एक वर्ष से कम अवधि के लिए दिया जाता है।

2. मध्यकालिक (Medium term loan) —एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के बीच के लिए दिया जाता है।

3. दीर्घकालिक लोन (Long term loan)- यह ऋण तीन वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए दिया जाता है।

1. होम लोन (Home Loan):
घर से सम्बन्धित जो लोन लिया जाता है, सामान्यतय: होम लोन कहा जाता है। इसके अन्तर्गत घर खरीदना, घर बनाना, घर का पुनर्निमाण (Renovation) इत्यादि आता है। यह लोन निर्धारित ब्याज दर पर दी जाती है। बैंक कुल लागत का 75 से 80% तक ऋण देती हैं। लोन चुकाने की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक हो सकती है।

2. व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan):
किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया लोन, व्यक्तिगत लोन कहलाता है। यह लोन मुख्यत: कर्ज चुकाने के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, यात्रा के लिए तथा विवाह सम्बन्धी गतिविधि इत्यादि के लिए लिया जाता है। व्यक्तिगत लोन का ब्याज दर प्रत्येक बैंक का अलग–अलग होता है। यह लोन किसी व्यक्ति के व्यवसाय या पेशा के आधार पर दिया जाता है। व्यक्तिगत लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 4 वर्ष तक होती है।

3. शिक्षा ऋण (Education Loan):
यह लोन विशेषकर उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक अध्ययन के लिए दिया जाता है। यह लोन लेने के लिए गारण्टर (Guarenter) की आवश्यकता होती है, जो अभिभावक या कोई रिश्तेदार हो सकता हैं। यह देश के अन्दर एवं बाहर (Abroad) दोनों के लिए दिया जाता है। सामान्यत: देश के अन्दर पढ़ने के लिए दस लाख तथा विदेशों में पढ़ने के लिए बीस लाख दिया जाता है।

4. कॉर्पोरेट लोन (Corporate Loan):

Aditya Institute - AIIT

जब बैंक बड़े व्यावसायिक कम्पनियों को ऋण देती है तो वह कॉर्पोरेट लोन कहलाता है। कोई भी बैंक अपने अपने कोर कैपिटल (Core Capital) का 55% तक किसी बड़ी कम्पनी को लोन दे सकती है।

5. वाहन या कार लोन (vehicle & Car Loan):

व्यक्ति पुरानी या नई (old & new) गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से जो लोन लेता है, वह वाहन या कार लोन कहलाता है। कार लोन के सन्दर्भ में प्रत्येक बैंक की ब्याज दर अलग-अलग होती है। इस ऋण को चुकाने के लिए बैंक ग्राहकों को EMI (Equated Monthly Installments) की सुविधा देती है या कोई ग्राहक चाहे तो समय से पूर्व भी लोन को चुका सकता है।

6. गोल्ड लोन (Gold Loan):

गोल्ड लोन बैंक में सोना रखने के बदले में नकद (cash) लेने की प्रक्रिया है। यहाँ लोन लेन के लिए बैंक में सिक्योरिटी (security) के रूप में सोना रखना होता हैं। इस लोन पर लिया गया ब्याज दर पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है। इस सन्दर्भ में प्रत्येक बैंक की ब्याज दर अलग-अलग होती है।

7. टर्म लोन (Term Loan):

यह लोन निर्धारित समय अवधि के लिए एवं उपयुक्त (applicable) ब्याज दर पर दिया जाता है। यह लोन अल्पकालिक अवधि (तीन वर्ष तक) तथा दीर्घकालिक अवधि (10 से 15 वर्ष तक) के लिए दिया जाता है। इसके अन्तर्गत ग्राहक को प्रत्येक माह ब्याज की राशि एवं लोन की राशि को बराबर किस्तों (equal installment) में बैंक में जमा करना होता है।

8. प्रोपर्टी लोन (Property Loan):

प्रोपर्टी लोन वह लोन है, जो बैंक आपकी प्रोपर्टी के कागजात (document) को गिरवी (mortgage) रख के देता है। इस लोन को चुकाने की अवधि अधिकतम 15 वर्ष होती है। प्राय: लोन की रकम/राशि कागजात में अंकित राशि का 40 - 60% होता है।

ओवर ड्राफ्ट (Overdrafts):

यह लोन का एक प्रकार होता है, जब बैंक खाते से उपलब्ध शेष राशि से अधिक राशि की निकासी (withdrawl) होती है तो यह प्रक्रिया ओवरड्राफ्ट कहलाती है। ओवरड्राफ्ट राशि तभी निकाली जाएगी, जब ग्राहक एवं बैंक के बीच कुछ नियमों एवं शर्तों (terms and conditions) पर सहमति होगी। उदाहरणस्वरूप यदि आपके चालू खाते (Current Account) में रु 10,000 हो और आपने रु 20,000 की निकासी किया हो (नियमों एवं शर्तों के अनुरूप) तो यह ओवरड्राफ्ट का उदाहरण है।

चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट को भरना:

(Filling up of cheque, demond Draft)

चेक को कैसे भरते हैं? (How to Fill Cheques?)

चेक भरते समय किसी व्यक्ति को तिथि (date), व्यक्ति का नाम, (जिसे payee करना हो), तथा राशि (amount) को शब्दों (words) में भरना, इत्यादि करना पड़ता है।

नोट:

1. अपने हस्ताक्षर (signature) करने के बाद लेन-देन (transaction) के पास (approve) किया जाता है।
2. एम. आई. सी. आर. (Magnetic Ink Character Recognition) बैंड (Band) के ऊपर हस्ताक्षर (signature) नहीं करें।
3. चेक भरते समय कभी भी overwrite एवं cutting (काटना) नहीं करें।
4. चेक भरते समय तिथि (date) डालना (put) नहीं भूलें।
5. चेक का रिकॉर्ड रखें, अर्थात् चेक का वह भाग, जिसे किसी को देने के पश्चात् चेक के अग्र भाग में निहित होता है।

चेक(Cheque):

चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है।

Aditya Institute - AIIT

चेक में तीन पक्ष होते हैं–
(i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता (Drawer),
(ii) जिसको आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक
(iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चेक का धारक (Payee)

2. चेक के प्रकार) Types of Cheque)

बैंक के द्वारा अपने जमाकर्ताओं को चेक जारी करने का अधिकार दिया जाता है।
इसके निम्नलिखित प्रकार हैं–
साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque) - चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेक उसके नाम से हो अथवा नहीं। भुगतान चेक के धारक को ही दिया जाता है।
आदिष्ट चेक (Order Cheque) - जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर Order लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। –
खुला चेक (Open Cheque) - ऐसे चेक, जो रेखांकित नहीं होते हैं और यदि रेखांकित हुए तो उसे पूर्णरूप से काटकर पूरे हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।
पावक खाता चेक (Account Payee Cheque) - जब किसी चेक के प्राय: बाईं ओर ऊपर कोने में दो समान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है।
विशिष्ट रेखांकित चेक (Special Crossed Cheque) - जब चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक विशिष्ट रेखांकित चेक बन जाता है।
उपहार चेक (Gift Cheque) - अपने प्रियजनों को उपहारस्वरूप दिए जाने वाले चेक को गिफ्ट चेक कहते है। ऐसे चेक शादी, बर्थ डे आदि में उपयोग किये जाते हैं।
यात्री चेक (Traveller's Cheque) - इस चेक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
पूर्व दिनांकित चेक (Pre-dated Cheque) - यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Pre-dated) चेक कहा जाता है।
गतावधि अथवा पुराना चेक (Stale Cheque) - यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अवधि (वर्तमान में तीन महीने) के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए, तो उसे गतावधि अर्थात् पुराना चेक कहा जाता है।
उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated Cheque) - यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post-dated) चेक कहा जाता है।
MICR चेक (Magnetic Ink Character Recognition) - MICR चेक में बैंड कोड लाइन पर चेक संख्या के अतिरिक्त 9 अंकों की एक संख्या भी मुद्रित रहती है, जिसके प्रथम तीन अंक केन्द्र/शहर को इंगित करते हैं। MICR चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेन्स को सम्भव बनाते हैं। यह पद्धति भारत में वर्ष 1987 में लागू की गई। 9 अंकीय संख्या में मध्य के तीन अंक बैंक तथा अन्तिम बैंक की शाखा के कोड को बनाते हैं।
इन्हें भी जानें–
अब हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध रहता है।
बैंक में नए खाते खोलने के लिए अधिवास प्रमाण–पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
गरीबों या बच्चों के बीच लोकप्रिय 'पिगी बैंक' लघु बचत बैंक का एक रूप है।
मांग (डिमाण्ड) ड्राफ्ट कैसे भरते हैं?
(How to Fill/Demand Draft)

Aditya Institute - AIIT

यदि आपको 40,000/- रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाना है तो इसके लिए बैंक जाकर एक फॉर्म (Form) भरना होगा, जिसमें डिमाण्ड ड्रॉफ्ट से सम्बन्धित आवश्यक सूचना (Essential details) भरनी होगी। डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जितने राशि का बनाना है, उसका भुगतान (payment) नकद या चेक के रूप में करना होगा। यदि आप भुगतान चेक (cheque) के रूप में करते हैं तो फॉर्म में चेक नम्बर लिखना होगा। डी.डी. फॉर्म पर, जिसके पक्ष में भेजना है, वह भरें तथा अपने हस्ताक्षर करें। भरने के बाद डी.डी. को चेक या नकद के साथ संलग्न कर पदधारी बैंक कर्मचारी (Designated Bank Employee) को सौप दें। फिर वह आपको पावती पत्र (Receipt) देगा। बैंक कुछ राशी कमीशन के रूप में लेती है, जो आपके खाते से कटेगा अथवा आप कैश में भुगतान करेंगे।

खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
(Documents for Opening Account)

अपने ग्राहक को जानिए (Know Your Customer):

अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देशों का उपयोग ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसमें खातों के हितार्थी स्वामी की सही पहचान, निधि के स्रोत, ग्राहक के उद्योग का स्वरूप, ग्राहक के कारोबार के सम्बन्ध में खाते के परिचालन में उचितता इत्यादि शामिल हैं, जिससे बैंक को विवेकसम्मत जोखिम प्रबन्धन से सहायता मिलती है।

KYC छूट प्रक्रिया (Relaxed KYC Procedure):

नो फ्रील अकाउण्ट के तहतू व्यक्तिगत स्तर पर निम्न आय समूह के लोगों को KYC नियमों में छूट दी जाएगी। निम्न आय समूह के अन्तर्गत वह ग्राहक शामिल होंगे, जिनके अपने किसी भी खाते में (FDR/SB/CA) रु 50,000 से अधिक या सभी का कुल योग रु 1 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

KYC के तहत् बैंक द्वारा माँगे जाने वाले दस्तावेज:

पहचान सत्यापित के लिए दस्तावेज:- पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पहचान-पत्र (बैंक की सन्तुष्टि की शर्त पर) बैंक की सन्तुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा पहचान तथा निवास को सत्यापित करते हुए पत्र।

सही व स्थायी पता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज :- टेलीफोन बिल, बैंक खाता विवरण, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण से पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड, नियोक्ता का पत्र (बैंक की सन्तुष्टि की

शर्त पर) ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है, जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के सम्बन्ध में सन्तुष्टि प्रदान करे।

KYC सम्बन्धी नष्ट दिशा–निर्देश:

KYC से सम्बंधित नए दिशा– निर्देश निम्नलिखित है–

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान हेतु कराए जा रहे KYC प्रक्रियाओं को पूरा करने में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से निपटने के लिए KYC मानदण्डों में संशोधन किया। RBI द्वारा इस सम्बन्ध में 23 जुलाई, 2013 को दिशा–निर्देश जारी किए गए।

RBI के द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार बैंक अधिक जोखिम वाले ग्राहकों से दो वर्ष में एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों से आठ वर्षों में एक बार तथा निम्न जोखिम वाले ग्राहकों से 10 वर्षों में एक बार KYC औपचारिकताओं को पूरा करने के आदेश दिए।

RBI के नए नियमों के तहत् बैंक को अपने ग्राहकों से कारोबारी सम्बन्ध प्रगाढ़ बनाने के लिए वर्तमान पहचान प्रणाली को ही अपनाए रखने की भी छूट होगी।

3. मुद्रा (Currency)

मानव जीवन में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक मुद्रा के रूप में नोट एवं सिक्के को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा विनिमय का साधन है। इसे सर्वव्यापी रूप में भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है। भारत में रिज़र्व बैंक सिक्के एवं नोट जारी तथा वितरण करने के लिए अधिकृत है। इसके लिए RBI को भारत सरकार का एजेण्ट बनाया गया है।

मुद्रा की माप:

मुद्रा की पूर्ति के मापन पर विचार हेतु RBI ने सर्वप्रथम वर्ष 1961 में एक कार्यकारी समिति का गठन किया। इसके पश्चात् RBI द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1977 में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर मुद्रा पूर्ति के सम्बन्ध में चार दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए।

RBI द्वारा चार वैकल्पिक मुद्रा आपूर्ति की माप दी गई, जो हैं–

M_1, M_2, M_3. तथा M_4

इन मापों की आनुभविक मापें–

M_1 = जनता की उपलब्ध चलन की मात्रा (चलन में नोट तथा सिक्के, बैंक के नकद कोष घटाकर) + बैंक की शुद्ध माँग जमा राशि + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियाँ।

M_1 = C+DD+ OD (M, = Currency + Demand Deposit + other Deposit)

M_2 = M_1 + डाकखानों के बचत बैंक में बचत जमा राशियाँ

M_3 = M_1 + बैंक की कुल जमा राशियाँ

M_4 = M_3 + डाकघर की कुल जमा राशि

उपरोक्त चारों संघटकों में M_1 सबसे अधिक तरलता को प्रदर्शित करता है, इसे संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money) कहते हैं तथा यह तरलता क्रमशः घटती जाती है और अन्तिम संघटक M_4 में सबसे कम तरलता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम M_1 से M_4 की ओर स्थानान्तरित होते हैं, वस्तुतः मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप से उसके मूल्य संचय की ओर बढ़ते जाते हैं।

बैंक के लिए M_3 सर्वाधिक उपयोगी मुद्रा होती है, इसे विस्तृत मुद्रा (Broad Money) भी कहते हैं, क्योंकि बैंक द्वारा इसका दीर्घकालिक उपयोग किया जाता है।

भारतीय करेंसी प्रणाली:

(The Indian Currency System)

नोट के निर्गमन की यह विधि वर्ष 1956 से रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई। वर्तमान समय से नोट जारी करने हेतु इसी प्रणाली को आधार बनाया गया है। इस प्रणाली के अनुसार, प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋण–पत्र कुल मिलाकर किसी समयर 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) रु 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। इस वर्तमान समर्थन व्यवस्था को न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली (Minimum Reserve System) या न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली कहते हैं।

भारत में रुपया का चिन्ह (रु) का उपयोग 15 जुलाई, 2010 से शुरू हुआ।

Aditya Institute - AIIT

यह चिन्ह डी० उदयकुमार ने बनाया।

टकसाल:

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं।

इन्हें भी जानें–

संगठित क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) शीर्ष संस्था है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ आती हैं।

भारतीय स्टेट बैंक रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में उन जगहों पर काम करता है, जहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया का कोई कार्यालय नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।

पत्र मुद्रा पर नई भाषा:

प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा रिज़र्व बैंक के मुद्रा विभाग को नए निर्देश जारी किए गए हैं कि मैथिली के साथ-साथ मणिपुरी, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा का अंकन भी रुपये के नोटों पर किया जाए। अभी तक भारतीय रुपये में 17 भाषाओं में ही रुपये का मूल्य लिखा जाता है, जबकि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।

4. 2000 रूपये के नए नोट और उनकी विशेषताएँ

(Features of New Rs. 2000 Notes)

नए बैंक नोट्स–2000 रुपये के अंकित मूल्य वाले नोट– रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने महात्मा गाँधी (नई) सीरीज के तहत जारी किए हैं।

नए नोट्स पर पीछे की तरफ मंगलयान की तस्वीर है।

यह नोट मुख्य रूप से मैजेंटा रंग के हैं। इस नोट पर अन्य ज्यामितीय पैटर्न और डिजाइन भी हैं, जो नोट की समूची कलर स्कीम के साथ मेल खाती है। यह दोनों ही तरफ लागू होता है।

नया नोट 66 मिमी गुणा 166 मिमी का होगा।

नोट्स पर छोटे अक्षरों में 2000 और RBI भी लिखा है। साथ ही सुरक्षा धागे पर भारत, 2000 और RBI लिखा है। यह सुरक्षा धागा हिलाने पर हरे से नीले रंग का हो जाएगा।

नोट को बनाने में यह भी ध्यान दिया गया है कि कोई नेत्र या दृष्टिहीन भी नोट को हाँथ में पकड़ने पर उसका मूल्य बता सके।

महात्मा गाँधी का पोट्रेट, पहचान का चिह्न और अशोक पिलर का चिह्न ऊपर उठे हुए होंगे।

पीछे की तरफ, वह वर्ष प्रिंट होगा, जिस वर्ष में यह नोट प्रिंट हुआ होगा। उस पर स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन भी होगा। लैंग्वेज पैनल नोट के बीच में होगी।

500 रूपये के नए नोट और उनकी विशेषताएँ

Aditya Institute - AIIT

नए नोट्स रंग, सिक्योरिटी कम्पोनेंट्स, साइज, एलिमेंट्स और थीम के लिहाज से पुराने नोट्स से काफी अलग है।
नए नोट्स का आकार 63 मिमी गुणा 150 मिमी है। यह नोट ग्रे कलर के है।
यह हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्रीय ध्वज भी इस नोट पर हैं।
नए नोट में महात्मा गाँधी की छवि की स्थिति और ओरिएंटेशन पुराने नोट से अलग है।
नोट को आड़ा-तिरछा करने पर सिक्योरिटी धागा फीचर हरे से नीला रंग में बदलेगा। नोट के दाएँ हिस्से में गारंटी क्लॉज, RBI, अशोक स्तम्भ का चिह्न और सम्बन्धित गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ही वचन भी होगा।
नोट के दाएँ हिस्से में नीचे की तरफ अंकों में उसकी कीमत होगी। जो हरे से नीले रंग में बदलेगा। अशोक स्तम्भ दाएँ हिस्से में होगा।
नोट को बनाने में यह भी ध्यान दिया गया है कि कोई नेत्रहीन या दृष्टिहीन भी नोट को हाथ में पकड़ने पर उसका मूल्य बता सके। महात्मा गाँधी का पोट्रेट, पहचान का चिह्न और अशोक पिलर का चिह्न ऊपर उठे हुए होंगे। पीछे की तरफ, वह वर्ष प्रिंट होगा जिस वर्ष में यह नोट प्रिंट हुआ होगा। उस पर स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन भी होगा।

भारत सरकार के सिक्कों का उत्पादन चार स्थानों (टकसालों) पर होता है-मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा।
RBI द्वारा रु 1 के नोट का पुन पुनर्प्रचलन:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 मार्च, 2015 को रु 1 का नोट पुनर्प्रचलन में लाने की घोषणा की है। इसके लिए द क्वाएनेज एक्ट, 2011 के तहत् निविदा जारी की, जिसके माध्यम से नोट की प्रिंटिंग की जाएगी। 20 वर्षो बाद पुनः रु 1 का नोट जल्दी ही प्रचलन में होगा।
नवम्बर, 1994 में अधिक लागत के कारण रु 1 के नोट की प्रिंटिंग बन्द कर दी गई थी। रु 2 तथा रु 5 के नोट की प्रिंटिंग भी वर्ष 1995 में बन्द कर दी गई। इसके बाद से इन मूल्यों के सिक्के ही प्रचलन में रह गए थे।

बैंकिंग सर्विस डिलीवरी चैनल-।
(Banking Service Delivery Channel-)

प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास ने बैंकिंग क्षेत्र में भी अनेक नवाचारों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन प्रौद्योगिकीय नवाचारों के कारण अब बैंकिंग गतिविधियों का भी सार्वभौमीकरण हो रहा है। इसके साथ ही लेन-देन, भुगतान, धन भेजना, खाता अद्यतन करने (up to date), चेक जमा करने आदि अनेक कार्यों हेतु उपभोक्ता की बैंक कर्मचारियों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। इससे एक ओर जहाँ बैंक की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को भी सुविधा हो रही है। पिछले कई दशकों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों में तकनीकी रूप से तेज़ी से विकास हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख डिलीवरी चैनल निम्नलिखित हैं -

स्वचालित टेलर मशीन (ATM):
(Automated Teller Machine)

स्वचालित टेलर मशीन (Automated Teller Machine, ATM) एक ऐसा कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग उपकरण है, जो ग्राहकों को ब्रांच प्रतिनिधि की किसी सहायता के बिना धन निकालने से सम्बन्धित मूलभूत सुविधा प्रदान करता है। एटीएम से ग्राहकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं-
1. 24 × 7 और 365 दिन लेन-देन की सुविधा
2. तीव्र एवं कार्यकुशल सेवा
3. लेन-देन में गोपनीयता
4. लेन-देन में विश्वसनीयता

एटीएम से बैंक को निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं-
1. बैंक की गतिविधियों में विस्तार
2. बैंक के कार्य संचालन हेतु पर्याप्त समय की उपलब्धता
3. बैंक के कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार में कमी

Aditya Institute - AIIT

4. नई बैंक शाखाएँ खोलने हेतु प्रोत्साहन
5. बैंक को धन के विशाल हस्तान्तरण से मुक्ति
6. बैंक के मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग
7. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन |

5. भारत में एटीएम का इतिहास

1. भारत में सबसे पहला एटीएम वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा मुम्बई में स्थापित किया गया।
2. भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी 'टाटा कम्युनिकेशन पेमेण्ट सॉल्यूशन' (इण्डीकैश) द्वारा चन्द्रपाड़ा, थाणे (महाराष्ट्र) में ATM स्थापित किया गया।
3. मोबाइल एटीएम प्रारम्भ करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक था।
4. दृष्टिहीनों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पहला बोलता एटीएम अहमदाबाद (गुजरात) में प्रारम्भ किया गया था।
5. भारत का सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक एटीएम वाराणसी में नेशनल पेमेण्ट कॉर्पोरेशन ने जारी किया।

एटीएम के विभिन्न प्रकार (Type of ATM):

(i) **ह्वाइट लेबल एटीएम** (White Label ATM) इस प्रकार के ATM का स्वामित्व और संचालन गैर-बैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत आता है। किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान करके ह्वाइट लेबल एटीएम से धन निकाल सकता है। ह्वाइट लेबल एटीएम पर किसी भी बैंक का लोगो (logo) नहीं होता है। भारत के प्रथम ह्वाइट लेबल एटीएम की स्थापना टाटा कम्पनी ने मुम्बई के निकट चन्द्रपाड़ा नामक स्थान पर की है।

(ii) **ब्राउन लेबल एटीम** (Brown Label ATM) इस प्रकार के ATM का हार्डवेयर और पट्टा (lease) सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है, लेकिन धन का प्रबन्ध तथा बैंकिंग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी उस प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका ब्रांड एटीएम पर प्रयोग किया जाता है। ब्राउन लेबल एटीएम बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम और ह्वाइट लेबल एटीएम के बीच का एक विकल्प होता है।

(iii) **ऑनलाइन एटीएम** (Online ATM) इस प्रकार के ATM हर समय बैंक के डेटाबेस के साथ जुड़े होते हैं तथा ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, इसके अन्तर्गत भुगतान राशि की सीमा तथा खाते में शेष राशि को बैंक द्वारा निगरानी में रखा जाता है।

(iv) **ऑफ़लाइन** (Offline ATM) इस प्रकार के एटीएम बैंक के डेटाबेस से जुड़े हुए नहीं होते हैं, इनके अन्तर्गत निकासी की राशि पूर्व निश्चित होती है तथा उपयोगकर्ता अपने खाते में उपलब्ध राशि के आधार पर ही धनराशि निकाल सकता है।

(v) **स्टैंड एलोन एटीम** (Stand Alone ATM) इस प्रकार के एटीएम किसी भी एटीएम नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अत: उनके लेन-देन, ATM शाखा और लिंक शाखाओं से प्रतिबन्धित होते हैं।

(vi) **ऑन-साइट एटीएम** (On Site ATM) इस प्रकार के एटीएम की स्थापना बैंक शाखा के प्रांगण में ही की जाती है, जिससे ग्राहकों द्वारा बैंक शाखा और एटीएम दोनों का प्रयोग किया जा सके।

(vi) **ऑफ-साइट एटीएम** (Off Site ATM) इस प्रकार के एटीएम की स्थापना स्टैण्ड अलोन आधार पर की जाती है। इन एटीएम के आस-पास बैंक शाखा नहीं होती है। इन एटीएम की स्थापना उन भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिए की जाती है, जहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है।

कुछ अन्य प्रकार के एटीएम:
(Other Types of ATMs)

वर्कसाइट एटीएम (Worksite ATM) - किसी विशेष संस्था के प्रांगण में उसी संस्था के कर्मचारियों के लिए समर्पित एटीएम।
मोबाइल एटीएम (Mobile ATM) - वाहनों में लगे विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले एटीएम।
ग्रीन लेबल एटीएम (Green Label ATM) - कृषि सम्बन्धित लेन-देन सम्पन्न करने हेतु।
ऑरेंज लेबल (Orange Label ATM) -शेयरों लेन-देन सम्पन्न करने वाले एटीएम।
येलो लेबल एटीएम (Yellow Label ATM) - ई-कॉमर्स उपलब्ध कराने वाले एटीएम।
पिंक लेबल एटीएम (Pink Label ATM) महिला बैंकिंग को समर्पित ATM।

Aditya Institute - AIIT

एटीएम द्वारा नई बैंकिंग सेवाएँ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 14 जनवरी, 2016 को मशीनों की सहायता से बैंकिंग प्रक्रिया तथा बैंक परिचालन की सुविधा के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की। इसके द्वारा एटीएम पर ही बैंक शाखाओं की भाँति ग्राहकों को सभी बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। RBI के इस निर्णय के बाद अब एटीएम ही अपने आप में सम्पूर्ण बैंक की भूमिका के रूप में होंगे। इसके साथ ऋण के लिए आवेदन करने, ड्राफ्ट बनवाने तथा बिलों के भुगतान करने जैसी सुविधाएँ भी एटीएम से प्राप्त की जा सकेंगी। भारतीय स्टेट बैंक का लगभग 48,000 मशीनों का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, वहीं ICICI बैंक (18,000), AXIS बैंक (12500) तथा HDFC बैंक (12,000) का भी एटीएम नेटवर्क बड़ा है।

बैंक मित्र (Bank Mitra):

बैंक मित्र वे लोग होते हैं, जो प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ (खाता खोलना, खाते में पैसा जमा करना) उपलब्ध करवाते हैं। विशेषकर बैंक मित्र उन जगहों पर कार्य करते हैं, जहाँ किसी बैंक की शाखा (branch) एवं ए.टी.एम मशीन नहीं होते हैं। ये एक प्रकार बैंक के अभिकर्ता (agent) होते हैं। बैंक मित्रों द्वारा निम्न कार्य किया जाता है।

1. बचत (saving) एवं लोन से सम्बन्धित जानकारी लोगों को देना।
2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत बचत एवं दूसरी सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करना।
3. ग्राहको की पहचान करना।
4. प्राथमिक जानकारी, आँकड़ों को एकत्र करना, फॉर्म को सम्भालकर रखना, लोगों द्वारा दी गई जानकारी की जाँच करना तथा लोगों द्वारा दी गई राशि को जमा करना।
5. खाते (account) से सम्बन्धित जानकारी ग्राहक को उपलब्ध करवाना।

प्वॉइण्ट ऑफ सेल (POS):

इसे खरीदने की जगह (point of purchase) भी कहा जाता है। POS वह स्थान एवं समय होता है, जहाँ खुदरा लेन-देन (transaction) किया जाता है। पीओएस के समय व्यापारी ग्राहक पर देय राशि का मूल्यांकन करके इंगित करता हैं तथा ग्राहक के लिए एक विवरण पत्र तैयार कर सकता है (जो नकद रजिस्टर या प्रिण्ट आउट हो सकता है) तथा वह ग्राहक को भुगतान करने का विकल्प दे सकता है। पीओएस एक ऐसा माध्यम है, जहाँ ग्राहक व्यापारी को किसी सामान (goods) या सेवा (services) के बदले में भुगतान करता है। भुगतान (payment) प्राप्ति के पश्चात् व्यापारी उस लेन-देन की एक रसीद (receipt) जारी कर सकता है, जो अधिकांशत: छपी हुई (printed) होती है, लेकिन अधिकतर रसीद इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाती है।

बैंकिंग सर्विस डिलीवरी चैनल-II

(Banking Service Delivery Channel-II) ये दो प्रकार के होते हैं-

NEFT (National Electronic Fund Transfer):

यह देश में इण्टरनेट के माध्यम से फण्ड स्थानान्तरण करने का तरीका है। इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी एक बैंक शाखा से दूसरे किसी बैंक या उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। NEFT (National Electronic Fund Transfer) के अंतर्गत न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। NEFT के अन्तर्गत स्वयं की अनुपस्थिति में उस बैंक में खाता होते हुए भी, नकद राशि जमा कराने पर दूसरी बैंक की शाखा में पैसा अन्तरण किया जा सकता है। इसके लिए पैसा जमा कराने वाले व्यक्ति को अपना पहचान-पत्र प्रमाण स्वरूप देना होगा।

RTGS (Real Time Gross Settlement):

इस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फण्ड का स्थानान्तरण वास्तविक समय (real time) में एवं सकल आधार (gross basis) पर होता है। Real time का अर्थ है, इसमें fund transfer तुरन्त, बिना किसी समयान्तराल के होता है। तत्काल निपटान (Gross settlement) का अर्थ है, किसी अन्य transaction के साथ RTGS का कोई netting या link नहीं होता है। एक बार प्रक्रिया होने के बाद यह अन्तिम व

Aditya Institute - AIIT

अपरिवर्तनीय माना जाता है। RTGS (Real Time Gross Settlement) द्वारा लेन–देन के लिए न्यूनतम सीमा रु 2 लाख निर्धारित है।

6. बीमा (Insurance)

एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई बीमा कम्पनी (insurance company) आपके (ग्राहक) किसी भी प्रकार का नुकसान, दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के सन्दर्भ में मुआवजा देने की गारन्टी देता है। बीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह–

(a) किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन के पश्चात् यह (बीमा) उसके परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा देती है, जो उस परिवार के लिए सहारा होता है।

(b) चिकित्सा सुरक्षा (Medical Saftey) के रूप में यदि किसी व्यक्ति की आपात चिकित्सा (Medical Emergency) की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में बीमा कम्पनी धन (money) उपलब्ध करवाती है।

बीमा के प्रकार:

(Types of insurance)

बीमा दो प्रकार के होते है :–

(a) जीवन बीमा (Life Insurance)

(b) गैर–जीवन बीमा (Non-life Insurance)

(a) जीवन बीमा, (Life Insurance):

जीवन बीमा, बीमा धारक एवं सम्बन्धित कम्पनी के बीच एक अनुबन्ध होता है। जीवन बीमा के अन्तर्गत बीमाधारक प्रीमियम (Premium) का भुगतान करता है, ताकि इसके बदले में कम्पनी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक को धन मुहैया कराती हैं। जीवन बीमा का लक्ष्य व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करवाना होता है। जीवन बीमा कई प्रकार के जोखिम को पूरा करती है। यथा – असामयिक मृत्यु, बीमारी इत्यादि।

(b) गैर–जीवन बीमा (Non-Life Insurance):

इसे सामान्य जीवन बीमा भी कहा जाता है। यह बीमा की एक ऐसी पद्धति है, जिसके अन्तर्गत किसी वस्तु की हानि (losses) एवं क्षति (damage) की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। यह व्यापक स्तर पर बीमा क्षेत्र को सुरक्षा देता है। यह (सामान्य बीमा) सामान्यतः एक वर्ष के लिए कवरेज सुरक्षा देती है तथा इसके बदले में एक मुक्त राशि एक ही बार में लेती है। यह मुख्यतः सम्पत्ति नुकसान (property loss) (गाडी का चोरी होना या घर का जलना), दुर्घटना से उत्पन्न मृत्यु या चोर (injury), फसल नुकसान, वाहनों का बीमा इत्यादि।

विभिन्न योजनाएँ (Various Schemes)

7. प्रधानमंत्रीजन-धनयोजना] PMJDY]

(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY) को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग/बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम–से–कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

PMJDY योजना के लाभ निम्न प्रकार है–

जमा पर ब्याज

रु 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर

न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं

Aditya Institute - AIIT

रु 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर व भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तान्तरण
सरकारी योजना के लाभान्वितों को इन खातों से सीधे हस्तान्तरण का लाभ मिलेगा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):

(Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

जीवन सुरक्षा से जुड़ी इस योजना की 'दुर्घटना बीमा योजना' के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें व्यक्ति को 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' रु 12 के वार्षिक प्रीमियम पर प्रदान की जाएगी। इस योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अस्थायी अपंगता की स्थिति में रु 1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह योजना न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के लिए व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

इस योजना में शुरूआती अनुभव के आधार पर प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान है, किन्तु पहले तीन वर्षों में यह बढ़ोतरी नहीं होगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJBY):

(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर जीवन बीमा का लाभ देना है, जो कम-से-कम प्रीमियम में लोगों को पारिवारिक सुरक्षा लाभ देने में सक्षम हो। इस योजना के तहत सभी बचत बैंक खाताधारक, जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होगी, लाभ अर्जित कर सकते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं-

इस योजना के अन्तर्गत बचत खाताधारकों को वार्षिक रु 330 प्रीमियम का जीवन बीमा प्रदान किया जाना है। बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में रु 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

इस बीमा के पात्र व्यक्ति को खाते में स्वतः डेबिट सुविधा द्वारा प्रीमियम जमा कर दिया जाएगा।

सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) के साथ अन्य निजी बीमा कम्पनियों को इससे जुड़ने को कहा है। यह योजना 1 जून, 2015 को आरम्भ हुई और 31 मई, 2016 तक चलेगी, जिसके बाद वार्षिक आधार पर यह पुनः जारी रहेगी।

8. अटल पेंशन योजना) Atal Pension Yojna)

इस पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष हो, को सरकार की पेंशन लाभ गारण्टी प्रदान करना है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद कम-से-कम रु 1000 तथा अधिकतम रु 5000 तक की पेंशन राशि प्रत्येक महीने दी जा सकेगी।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पात्र अंशदाता के बैंक खाते में कुल अंशदान का आधा हिस्सा अथवा र 1000 (जो कम हो) प्रत्येक महीने जमा किए जाएँगे। सरकार द्वारा पाँच वर्षों तक की राशि जमा की जाएगी।

सरकार का अंशदान उन्हीं व्यक्तियों के लिए होगा, जो 31 दिसम्बर, 2015 तक इस योजना से जुड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति, जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ा है अथवा आयकर दाता है, इस योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता है।

अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष से अधिक धनराशि जमा नहीं करनी होगी। 'अटल पेंशन योजना' स्वावलम्बम योजना के अन्तर्गत 'पेंशन कोष नियामक तथा विकास प्राधिकरण' द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इस योजना में नामांकन करा सकेगें।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेण्ट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक:

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेण्ट रिफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development Refinance Agency, MUDRA) बैंक की घोषणा वर्ष 2015 के बजट में की गई है, जिसके रु 20,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है और इसमें रु 3,000 करोड़ की ऋण गारण्टी राशि की घोषणा की गई है। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पुनर्वितीयन करेगा तथा कर्ज देते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Aditya Institute - AIIT

इन उपायों से युवाओं, शिक्षित अथवा कौशल प्राप्त श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे।

मुद्रा बैंक की आवश्यकता:

मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। छोटी मैन्युफैक्चरिग यूनिट और दुकानदारों को इसमें लोन मिलेगा। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वालों को भी इस योजना के तहत लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई जाएगी।

मुद्रा बैंक की विशेषताएँ:

मुद्रा बैंक की विशेषताएँ निम्न हैं–

इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर रु 50 हजार से रु 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। केन्द्र सरकार इस योजना पर रु 20 हजार करोड़ लगाएगी, साथ ही इसके लिए रु 3,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारण्टी रखी गई है।

मुद्रा बैंक छोटे फाइनेंस संस्थानों (माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) को रिफाइनेंस करेगा, ताकि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कर्ज दे सके।

मुद्रा बैंक के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता पर कर्ज दिया जाएगा।

इसकी पहुँच का दायरा बढ़ाने के लिए डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।

मुद्रा बैंक देशभर की 5.77 करोड़ छोटी व्यापार इकाइयों की मदद करेगा। इन्हें अभी बैंक से कर्ज लेने में मुद्रा का वर्गीकरण करने में बहुत मुश्किल होती है।

मुद्रा का वर्गीकरण:

मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है–

इस व्यवस्था के तहत तीन तरह के कर्ज दिए जाएँगे–शिशु, किशोर, तरुण

रु 50,000 तक के ऋण शिशु हेतु

रु 50,000 से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण किशोर हेतु

रु 5 लाख से रु 10 लाख तक के ऋण तरुण हेतु

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS):

राष्ट्रीय पेशन प्रणाली (National Pension System (NPS)) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन–योजना है। यह 1 जनवरी 2004 से आरम्भ हुई थी। आरम्भ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरम्भ की गई थी। 1 मई 2009 में यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। इस योजना के सहारे सरकार ने स्वयं को पेंशन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। सरकार की भूमिका केवल शुरूआती दौर में बराबर के अंशदाता के रूप में है। कर्मचारी और सरकार के अंशदान से संचित राशि निश्चित वित्तीय संस्थानों को मिलती है, जिसका वे दिए गए निर्देशों के तहत प्रबन्धन करते हैं।

भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) स्थापित किया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिको को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की प्रवृति को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने सेवानिवृति के लिए असंगठित क्षेत्र को स्वैच्छिक बचत का बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2010-11 में एक सह अंशदान पेंशन योजना 'स्वावलम्बन योजना' आरम्भ की। स्वावलंबन योजना के तहत सरकार प्रत्येक एनपीएस अंश दाता को 1000 रुपये की राशि प्रदान करेगी, जो न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 12000 रुपए का अंश दान प्रति वर्ष करता है। यह योजना वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लागू हैं।

लोक भविष्य निधि [PPF] योजना:

Aditya Institute - AIIT

PPF एक बचत सह कर–बचत उपकरण है, जो उचित प्रतिफल और आय का लाभ प्रदान करने वाले निवेश का प्रस्ताव देकर छोटी–छोटी बचतों को एकत्रित करती है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो भारत का निवासी है, वह लोक भविष्य निधि के अन्तर्गत खाता खोलने के योग्य है। ऐसे व्यक्ति को खाता खोलने के लिए तथा खाता जारी रखने के लिए रु 500 न्यूनतम जमा करना अनिवार्य है। इसमें अधिकतम जमा की सीमा रु 1,50,000 है। इस खाते में जमा राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, जो सामान्यत: अन्य जमाओं पर प्राप्त ब्याज से अधिक होता है। इसकी आरम्भिक अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

पेंशन (Pension):

यह एक ऐसी योजना है, जिसमें थोड़ी–थोड़ी निधि अलग कर दी जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रयोग किया जाता है।

PPF की परिपक्वता पर एक व्यक्ति–

या तो कुल धनराशि निकाल सकता है।

या तो PPF खाते को बिना किसी योगदान (धनराशि न अदा करना) के 15 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकता है।

या PPF खाते को योगदान के साथ आगे बढ़ाए, जिसमें व्यक्ति PPF खाते में आगे भी धनराशि जमा कर सकता है।

9. मोबाइल पर बैंक) Bank on your Mobile]

अपने मोबाइल पर बैंक का अर्थ होता है, आप अपने बैंक का कहीं भी, किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने खाते को देखना (See your Account) होता है। फिर आप किसी को भी फण्ड ट्रांसफर (Fund Transfer) बिलों का भुगतान (pay bills) (बिजली, पानी) लेन–देन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यों को आसानी से कर सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking):

बैंक ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए कई सारे विकल्प दे रहे हैं। आप अपने बैंक खाते को मोबाइल नम्बर से जोड़ सकते हैं। बैंक मनी आईडेंटिफाई नम्बर और मोबाइल पिन (एम–पिन) देगा। एम–पिन पासवर्ड की तरह इस्तेमाल होगा। इसके जरिए आप अपनी पूँजी को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अभी दूसरे खातों में राशि का ट्रांसफर नेट बैंकिंग या बैंक शाखा में जाकर करते हैं। इसके अलावा, बैंक अपने मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी देते हैं, जिसे आप बैंक को एसएमएस या बैंक जाकर अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का एप्लीकेशन एसबीआई फ्रीडम और आईसीआईसीआई बैंक का आई–मोबाइल नाम से है।

मोबाइल वॉलेट (Mobile Wallet):

जिस तरह से बैंक हमारे पैसे को डेबिट कार्ड के जरिए खर्च करने की सुविधा देता है, ठीक वैसे ही कुछ पेमेंट सर्विसेज मोबाइल ऐप या कम्प्यूटर के जरिए पेमेन्ट की सुविधा देते हैं। यह सुविधा E-wallet के जरिए दी जाती है। ई–वॉलेट में एक निश्चित रकम रखी जा सकती है, जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर पेमेंट किया जा सकता है।

इ वॉलेट के फायदे (Benefit of E-Wallet)-

कार्ड स्वाइप करने की समस्या से मुक्ति

पेमेन्ट करते वक्त आपकों कार्ड डिटेल्स पूर्ण जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। सबकुछ एक क्लिक में ही हो जाता है।

किसी ऑनलाइन साइट या लिमिटेड सेल ऑफर रेल या फ्लाइट टिकट बुक करते समय तेजी से पेमेन्ट करने की जरूरत होती है।

आप अपने E-wallet से किसी को भी पैसा बिना किसी बैंकिंग के मिनटों में भेज सकते है।

इस पेमेन्ट सिस्टम में किसी भी तरह के कार्ड डिटेल्स नहीं देने होते हैं। ऐसे में जानकारी लिंक या हैकिंग की संभावना कम रहती है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो वालेट में रखे एक सिमित अमाउन्ट

Aditya Institute - AIIT

पर ही चपत लगेगी और वॉलेट में रखे पैसो की जिम्मेदारी और किसी भी तरह की प्रोब्लम होने पर वॉलेट कम्पनी जिम्मेदार होती है।

वॉलेट में ऑफलाइन पेमेंट के ऑप्शन की वजह से दुकानों में खुले पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मोबाइल वॉलेट कैसे काम करता है?

(How to work mobile wallet works)

मोबाइल वॉलेट को उपयोग करने के लिए एक मोबाइल वॉलेट ऐप (App, application) को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद उस app को खोलने के पश्चात् उसमें एक अपना पिन (PIN) डालना होगा उसके बाद उस सूचना की प्राप्त करने हेतु सहमति स्वीकृत करना होता है। ऐप (app) सूचनाओं को संचय in NFC (Near-Field Communications) तकनीक, जिसके माध्यम से सुगम तरीके से भुगतान कर दिया जाता है।

THE END **THE END**

Aditya Institute - AIIT

Rj /RS

9415132910 - 9161664246